Witness No.--**03**---- For--**अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the--**13.02.2024**-day of-**सोमवार** Witness's apparent age--**45 वर्ष**

States on affirmation-**शपथपूर्वक बयान** my name is-- **ओमप्रकाश धुर्वे**

wife of/ son of **स्व० रामूलाल धुर्वे** occupation **प्र०आ० क्र० 642**

पता- थाना रनचिरई, जिला बालोद छ०ग०

आप० प्रक० क्र०-765/2022 शा० वि० मनोहर कोसरे
प्रारंभ समय-3.32 बजे से

//राज्य की ओर से एडीपीओ श्री उत्तम कुमार गोरे //

01. मैं, दिनांक 04.08.2022 को थाना रनचिरई में प्रधान आरक्षक के पद पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित था। उसी दिनांक को हमराह आरक्षक क्र 51,184 मय शासकीय वाहन में देहात भ्रमण एवं जुर्मजरायम पतासाजी हेतु देहात रवाना हुये थे, कि जरिए मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम शकरौद का मनोहर कोसरे अवैध रूप से शराब थैला में रखकर पैदल परिवहन कर रहा है, कि सूचना तश्दीक हेतु गवाह राकेश कुमार देवांगन एवं लक्षमेन्द्र देशमुख को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा-160 जा०फौ० का नोटिस दिया था, जो **प्रपी 01** है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। गवाह उपस्थित होने पर उनके समक्ष मुखबिर पंचनामा तैयार किया था, जो **प्रपी-02** है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

02. हमराह स्टाफ एंव गवाहों के साथ जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये तो शराब खरीदने वाले पुलिस को देखकर भाग गये, एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम मनोहर कोसरे, पिता किशुन कोसरे, सा० शकरौद, थाना रनचिरई का रहने वाला बताया। हम लोगों के द्वारा आरोपी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराये जाने पर उसने अपनी तलाशी हेतु सहमति दिया था, सहमति पंचनामा प्रपी-03 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। आरोपी के द्वारा पुलिस फोर्स, वाहन एवं गवाहों की तलाशी लिया था, पुलिस फोर्स, वाहन एवं गवाहों की तलाशी पंचनामा प्रपी-04 है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

03- मेरे द्वारा आरोपी मनोहर कोसरे की तलाशी ली गई थी, तलाशी पंचनामा प्रपी-10 है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 18 पाव देशी प्लेन शराब व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब बरामद हुआ था, बरामदगी पंचनामा **प्रपी-07** है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। मैंने आरोपी मनोहर कोसरे को अपने कब्जे में रखकर शराब बिक्री करने के संबंध में धारा-91 का नोटिस दिया था, जो **प्रपी 11** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। आरोपी के द्वारा कोई भी वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनके कब्जे से बरामद 18 पाव देशी प्लेन शराब व 01 अद्धी देशी प्लेन शराब को गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जप्ती पत्र **प्रपी-06** है, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में

जप्तशूदा शराब को सीलबंद किया था । सीलपंचनामा **प्रपी–07** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

04. मैंने, आरोपी को विधिवत गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक **प्रपी–08** तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। गवाह राकेश कुमार देवांगन एवं लक्षमेन्द्र देशमुख के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किया था। मौके पर गवाहों के समक्ष नजरी नक्शा तैयार किया था, जो **प्रपी 09** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । मौके पर ही आरोपी के विरूद्ध अपराध देहाती नालसी 0/22 में दर्ज किया था, जो **प्रपी–12** है, जिसके अ से अ व ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । थाना वापस आकर आरोपी मनोहर कोसरे के विरूद्ध अपराध क्र० 92/2022 धारा 34–1–ख, आबकारी अधि0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था, जो **प्रपी 13** है जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

05. दिनांक 04.08.2022 को प्रकरण में जप्तशूदा शराब को थाना के मालखाने में गवाहों के समक्ष जमा कराया था, माल जमा कराने का पंचनामा **प्रपी–13 व प्रपी–14** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । दिनांक 06.08.2022 को प्रकरण में जप्तशूदा शराब को आबकारी उपनिरीक्षक कार्यालय गुण्डरदेही जांच हेतु भेजने के लिए प्रतिवेदन तैयार कर भेजा था, जो प्रतिवेदन **प्रपी 15** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। प्रकरण में नकल रोजनामचा सान्हा जप्ती माल रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि व मंदिरा जांच प्रतिवेदन संलग्न कर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री ए०आर० दिल्लीवार वास्ते अभियुक्त/

06. हम लोग मुखबिर के मोबाईल सूचना से जानकारी मिलने पर मौके पर आरोपी से शराब की पौवा और अद्धी की जप्ती किये थे । यह कहना सही है, कि हम लोग मौके पर जब गये तो आरोपी पैदल जा रहा था । यह कहना गलत है, कि हम लोग मौक पर आरोपी से किसी प्रकार की शराब की पौवा और अद्धी, बॉटल को जप्त नहीं किये हैं । यह कहना सही है, कि जप्तशूदा शराब को फोरेंसिंग लैब में जाँच नहीं कराये हैं । स्वतः कथन आबकारी वालों से जप्त मंदिरा की परीक्षण कराई गई थी । यह कहना सही है, कि हम लोग जप्त शराब की अनुमानित कीमत लेख किये हैं । यह कहना सही है, कि मैंने घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया है ।

07. नजरी नक्शा में घटनास्थल को मेन रोड में "A"अक्षर से चिन्हांकित किया हूँ । यह कहना सही है, कि आरोपी से खेत में शराब का कोई पौवा और अद्धी, बॉटल को जप्त नहीं किये हैं । यह कहना गलत है, कि हम लोगों ने आरोपी के विरूद्ध विभागीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु झूठा मामला दर्ज

किये हैं । यह कहना गलत है, कि आरोपी द्वारा अपने कब्जे में पानी पीने के बॉटल को रखे थे, जिसे जप्त किये हैं ।

समाप्ति समय — 3.57 बजे।

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/-
(महेश बाबू साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद(छ.ग.)

वाचित सत्य स्वीकृत

सही/-
(महेश बाबू साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद(छ.ग.)